देर ही सही लेकिन उचित कदम

05, OCT, 2009, MONDAY 09:09:03 PM

Gurgaon Half Marathon
Sunday Feb 21st 2016 Registrations now open

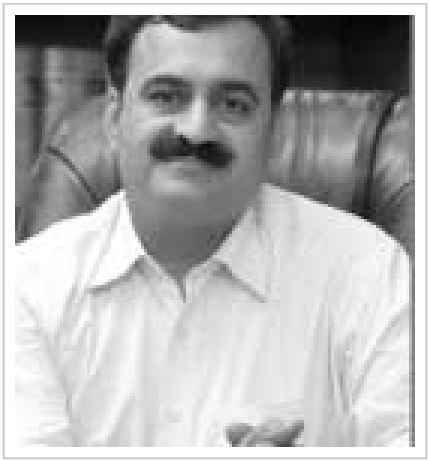

पवन दुग्गल, कानूनविद्

लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि सार्वजनिक स्थल किसी धर्मविशेष के लिए नहीं होते। उन पर सभी धर्मों के लोगों का समान रूप से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों पर पूजास्थल या अन्य स्थल बनाकर अतिक्रमण करने से उनका अपना ही नुकसान होता है।

सु प्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पूजास्थल का निर्माण न कराने का फैसला लेना उचित है। सार्वजनिक स्थल सरकार की संपत्ति है, लिहाजा बिना सरकार की अनुमति के वहां किसी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए, चाहे वह पूजास्थल ही क्यों न हों। सार्वजनिक स्थलों पर गैर-कानूनी तरीके पूजास्थल बनाने को किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता है। अगर लोग पूजास्थल बनाना चाहते हैं तो उन्हें कानून के दायरे में रहकर ही यह काम करना

चाहिए। वैसे अब राज्य सरकारों के लिए पहले से स्थापित स्थलों को हटाने में थोडी परेशानी तो अवश्य आएगी। लोगों को समझाना अब इतना आसान नहीं होगा, लेकिन यह फैसला सकारात्मक साबित होगा। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर पूजास्थलों को निर्माण के समय ही रोक दिया गया होता या फिर उस समय ही कुछ ठोस कदम उठाए गए होते, तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखलअंदाजी करने की जरूरत ना पडती। उस समय सरकार द्वारा कोई कदम ना उठाना उनकी सबसे बडी भूल थी। कहीं ना कहीं राजनैतिक नेतृत्व जनभावनाओं के भड़कने के भय से इस मामले से दूर रहे। यही वजह है कि स्वार्थी तत्वों ने जहां चाहा, वहां पूजा घर बनवाकर सार्वजनिक जमीन हथियाई। उन्होंने सड़कों, बस स्टैंड, दफ्तरों और पार्कों तक पर कब्जा जमाया। अब राज्य सरकारों को उन्हें हटाना होगा। वैसे, सरकार को उन पूजास्थल को तोडने में खासी परेशानी होगी। उन्हें लोगों के उग्र रूप का सामना करना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि धर्म की आड़ में सरकारी संपत्ति को हड़पने का धंधा चलाने वाले, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उत्पात मचाने की कोशिश करें। लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि सार्वजनिक स्थल किसी धर्मविशेष के लिए नहीं होते। उन पर सभी धर्मों के लोगों का समान रूप से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों पर पूजास्थल या अन्य स्थल बनाकर अतिक्रमण करने से उनका अपना ही नुकसान होता है। जो जमीन लोगों व शहर के विकास में काम आ सकती थी, वह यूं ही बेकार चली जाती है। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पहले से बने पूजा स्थलों के बारे में फैसला करने की बात है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक-एक जगह जाकर पूजास्थल तुडवाना संभव भी नहीं है। कभी भी कोई भी धर्म या अन्य बाहरी तत्व कानून व न्याय से बडा नहीं हो सकता।

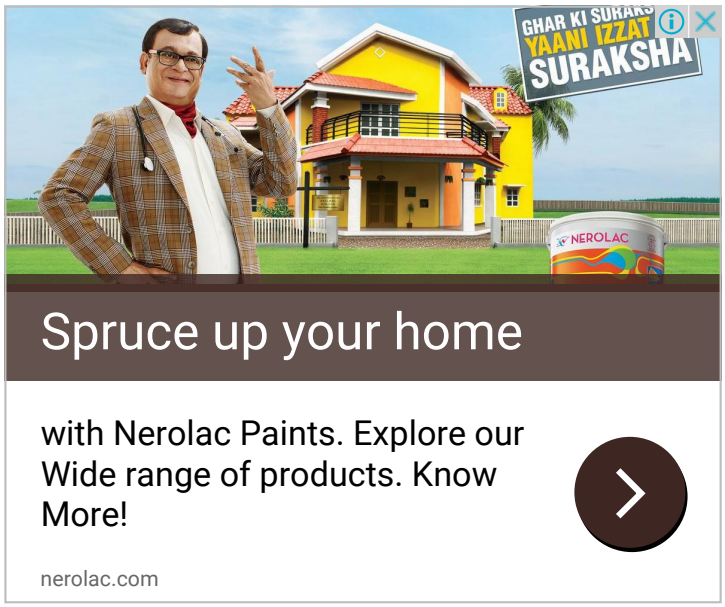

RELATED VIDEOS

Sardaar Gabbar Singh Pre Release Business
1:17

Pawan Kalyan Managing Sardaar Gabbar Singh Sets
1:11

Chiru To Come In Sardaar Gabbar Singh Audio Launch
1:23

अन्य विचार

भाजपा के सामने एक नई समस्या

विभागीय कार्यवाही एक वर्ष में पूरी हो

(http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/12779/9/200)

देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा गायब

(http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/12777/9/200)

भ्रष्टाचार : देश की छवि में कोई सुधार नहीं

(http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/12775/9/200)

कैसे थमेगी सड़क पर दौड़ती मौत

(http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/12752/9/200)

क्या यही पंचायती राज है?

(http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/12750/9/200)

(http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/12778/9/200)

आरक्षण व्यवस्था के साथ बर्बर 'बलात्कार'

कैसे रुकेगा?

(http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/12776/9/200)

क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मंजूरी पर बहस

(http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/12753/9/200)

योगीराज अरविन्द घोष का चरित्र हनन

(http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/12751/9/200)

DESHBANDHU (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DESHBANDHUNEW)

Post Your Comment

Your Article:

देर ही सही लेकिन उचित कदम

Your Name:

Your Email:

Your Comment:
Type in Indian languages (Press Ctrl+g to toggle between English and Hindi)

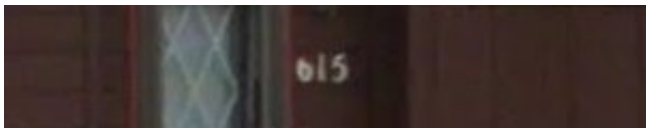

Type the text

http://www.google.com/intl/en/policies/ Privacy & Terms